रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2007/आश्विन 11, 1929
No. 1192] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2007/ASVINA 11, 1929

IndiaCode

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1694(अ).—केन्द्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत से अपलिंक के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत तारीख 2 दिसम्बर, 2005 को उस सीमा तक जहां तक ये पैरा 2.4.3 के उप-पैरा (i) में निर्दिष्ट क्रिकेट की घटनाओं से संबंधित है और टेलीविजन चैनल के डाउनलिंक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नीति तारीख 11 नवम्बर, 2005 जहां तक ये पैरा 5.2.1 और 5.2.2 में वर्णित क्रिकेट की घटनाओं से संबंधित हैं, को अधिक्रांत करते हुए, क्रिकेट के संबंध में राष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाएं अधिसूचित करती है जो निम्नलिखित हैं :—

(1) भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए सभी अधिकृत एक-दिवसीय और बीस-20 मैच और ऐसे टैस्ट मैच, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अत्यधिक लोक हित के समझे जाएं ।

(2) पुरुष विश्व कप और अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल चैम्पियनशिप ट्राफी के सेमीफाइनल और फाइनल ।

[फा. सं. 16/8/2006-बीपी एंड एल जिल्द-III]

स्तुति कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2007

S.O. 1694(E).— In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (1) of Section 2 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharti) Act, 2007 (11 of 2007), and in supersession of the Guidelines for Uplinking from India dated 2nd December, 2005, in so far as it relates to Cricket events mentioned in sub-para (i) of Para 2.4.3, and Policy Guidelines for Downlinking of Television Channels dated 11th November, 2005, in so far as it relates to Cricket events mentioned in para 5.2.1 and para 5.2.2, the Central Government hereby notifies the sporting events of National importance with respect to cricket as follows :—

(1) All official One-Day and Twenty-20 matches played by the Indian Men's Cricket Team and Such Test matches as are considered to be of high public interest by the Central Government.

(2) Semi-finals and finals of Men's World Cup and International Cricket Council Championship Trophy.

[F. No. 16/8/2006-BP& L Vol. III]

STUTI KACKER, Jt. Secy.

4077 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2007/आश्विन 27, 1929
No. 1276] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2007/ASVINA 27, 1929

India Code

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1785(अ).—केन्द्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवम्बर-दिसम्बर, 2007 को खेले जाने वाली क्रिकेट की भारत-पाक टेस्ट शृंखला राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 16/8/2006-बीपी एंड एल जिल्द-III]
जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2007

S.O. 1785(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Sub-section (1) of Section 2 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), the Central Government hereby notifies the India-Pak Test Series of cricket to be played in November-December, 2007, as a sporting event of national importance.

[F. No. 16/8/2006-BP & L Vol. III]
ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

4281 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2007/ कार्तिक 9, 1929
No. 479] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2007/KARTIKA 9, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 687(अ).—केंद्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों के जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) ''अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के संबंध में प्रसारण अधिकार रखता है या धारण करता है;

(ग) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम में हैं ।

3. **प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों की हिस्तेदारी.**—(1) प्रत्येक अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता जो किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क या डायरेक्ट टू होम नेटवर्क पर राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों का सीधा प्रसारण करने का आशय रखता है तो वह दूरदर्शन प्रसारण या प्रसारण की प्रस्तावित तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व उसके बारे में प्रसार भारती को सूचित करेगा और सीधे सिगनलों की उस रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, हिस्सेदारी की प्रस्थापना करेगा ।

(2) अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता, प्रसार भारती को यथास्थिति, दूरदर्शन के मास्टर नियंत्रण कक्ष या आकाशवाणी के मास्टर नियंत्रण कक्ष पर स्वयं के खर्चे पर सीधे सिगनल उपलब्ध कराएगा ।

(3) अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक द्वारा प्रसार भारती के साथ हिस्सेदारी किए जाने वाले सिगनल सभी विशेषताओं से युक्त वाणिज्यिक विज्ञापनों से मुक्त सर्वोत्तम रूप से फीड किए जाएंगे जैसे कि भारत में प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट सिगनलों में पूर्व सीधे प्रसारण और पश्च सीधे प्रसारण के सिगनल सम्मिलित होंगे ।

(5) प्रसार भारती की भारत में उपलब्ध किसी चैनल के प्रतीक चिन्ह को लगाने की बाध्यता नहीं होगी ।

(6) प्रसार भारती को सभी उपसर्जित करने, पूर्व के, बाद के, और अंतर प्रसारण कार्यक्रमण के अधिकार होंगे ।

(7) प्रसार भारती को आकाशवाणी के एएम और एफएम चैनलों सहित अपने राज्य क्षेत्रीय और डायरेक्ट टू होम नेटवर्क को सिगनल पुन: पारेषित करने का अधिकार होगा ।

4. **प्रसारण राजस्व और वाणिज्यिक समय के विपणन की हिस्सेदारी.**—(1) प्रसार भारती नियम 3 के उपनियम (1) के

IndiaCode

निबंधनों के अनुसार सूचित किए जाने पर या अन्यथा दोनों में से अर्थात् अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक या प्रसार भारती में से प्रसार भारती के चैनल पर पुन: पारेषण द्वारा उत्पन्न वाणिज्यिक समय के विपणन का कार्य करेगा जो अधिकतम राजस्व की प्रस्थापना करता है, उसे विपणन अधिकार प्राप्त होंगे ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए मुद्रांकित बोली प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ऐसी बोलियां दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी तथा अधिक बोली लगाने वाला पक्षकार विपणन अधिकार प्राप्त करेगा ।

(3) इस प्रकार अवधारित अंतिम रकम विपणन अधिकार प्राप्त करने वाले पक्षकार द्वारा प्रस्थापित करों और शुल्कों का संदाय करने के पश्चात् प्रत्याभूतित शुद्ध राजस्व होगी और पक्षकारों के बीच अंशभाजित किया जाने वाला राजस्व प्रत्याभूतित राजस्व या वसूल किए गए वास्तविक राजस्व से अधिक होगा ।

(4) विपणन अधिकार प्राप्त करने वाला पक्षकार अन्य पक्षकार को अन्य पक्षकार के प्रत्याभूतित राजस्व के बराबर रकम की बैंक प्रत्याभूति देगा जो उस मास के जिसको खेल आयोजन समाप्त होते हैं पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(5) विपणन अधिकार रखने वाला पक्षकार अपने नाम में सभी निकासी आदेशों और संदायों को अभिप्राप्त करने का हकदार होगा और उसके द्वारा सभी संदाय खाता अदाता चैकों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जों किसी अभिहित एस्क्रो खाते में जमा किए जाएंगे जिनसे पक्षकार को कर दायित्व का मोचन करने के पश्चात् निकासी करने की स्वतंत्रता होगी ।

(6) विपणन अधिकार रखने वाला पक्षकार अन्य पक्षकार को राजस्व उपार्जन के चार्टड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित संपूर्ण लेखे सभी निकासी आदेशों सहित प्रस्तुत करेगा और समस्त प्रत्याभूतित रकम या किसी अन्य रकम का जिसके लिए अन्य पक्षकार नियम 4 के उपनियम (3) और अधिनियम के अधीन राजस्व अंश भाजन सूत्र के अनुसार हकदार है, का संदाय उस मास के जिसको खेल आयोजन समाप्त होने हैं पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पचहत्तर दिन की अवधि के भीतर संदाय करेगा ।

5. **खेल आयोजनों का प्रसारण करने वाले टेलीविजन या रेडियो के उत्तरदायित्व.**—यदि टेलीविजन या रेडियो प्रसारण प्रदाता अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक से भिन्न हैं तो उसका यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक से अधिकारों के अर्जन के समय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ।

6. **राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन की घोषणा की रीति.**—(1) राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन की सूची अवधारित की जाएगी और उसे युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा प्रसार भारती के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय महत्व के किसी आयोजन को जब एक बार सूची में सम्मिलित किया जाता है तो वह इस में सम्मिलित किए जाने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के खेल आयोजन के रूप में बना है जब तक कि उसे पहले हटा न दिया गया हो या वापस न ले लिया गया हो ।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसी भी समय पर और कम से कम उपनियम (1) के अनुसार प्रत्येक कलेंडर वर्ष के फरवरी मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय महत्व के खेल घटनाओं की सूची का पुनर्विलोकन कर सकेगी और अंतर्वेशन या हटाने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार करेगा और संशोधनों को अधिसूचित करेगा यदि कोई हो ।

7. **अतिक्रमण के कतिपय मामले में टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता या अंतर्वस्तु स्वामी या धारक का दायित्व.**—(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 3 या इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन या शर्तों के किसी अतिक्रमण की घटना में जब तक अतिक्रमण जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए शास्ति अधिरोपित कर सकेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता के मामले में शास्ति, किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो केन्द्रीय सरकार, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या प्रतिसंहरण के माध्यम से करे ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता या अंतर्वस्तु अधिकार स्वामी या धारक को युक्ति युक्त रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ।

8. **मार्गदर्शन सिद्धांतों का आंशिक अधिक्रमण.**—ये नियम भागत: भारत से अपलिंकिंग, तारीख 2 दिसंबर, 2005 के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांतों और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग, तारीख 11 नवंबर, 2005 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अधिक्रमण करते हैं, जहां तक इनका संबंध राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों और उनसे संबंधित निबंधनों और शर्तों से है, के मामले में प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनल की हिस्सेदारी से है ।

[सं. 16/8/2006-बीपी एंड एल जिल्द III]

जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2007

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (Act 11 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sports Broadcast Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Rules, 2007.

IndiaCode

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' shall mean the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (Act 11 of 2007);

(b) 'content rights owner or holder' shall mean a person for the time being having or holding the broadcasting rights in respect of a sporting event of national importance within the territory of India;

(c) words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Sharing of Sports Broadcasting Signals with Prasar Bharati.—(1) Every content rights owner or holder and television or radio broadcasting service provider intending to carry a live television broadcast on any cable television network or Direct-to-Home network or intending to make a radio commentary broadcast in India, of a sporting event of national importance shall at least forty five days prior to the proposed date of telecast or broadcast, inform the Prasar Bharati about the same and offer to share the live signals in the manner and on such terms and conditions as are hereunder specified.

(2) The content rights owner or holder and television or radio broadcasting service provider shall provide the live signals to the Prasar Bharati at the Master Control Room of Doordarshan or as the case may be, the Master Control Room of All India Radio, at its own cost.

(3) The signals to be shared with the Prasar Bharati by the content rights owner or holder, shall be the best feed with all features as that of provided to a broadcast service provider in India, free from commercial advertisements.

(4) The signals referred to in sub-rules (2) and (3) shall include signals of the pre live event and the post live event coverage.

(5) The Prasar Bharati shall not be under any obligation to carry the logo of any channel available in India.

(6) The Prasar Bharati shall have all the rights to generate, pre, post and intermission programming.

(7) The Prasar Bharati shall have the right to retransmit the signals on its terrestrial and Direct-to- Home networks including the AM and FM channels of the All India Radio.

4. Sharing of advertisement revenue and Marketing of commercial time.—(1) The Prasar Bharati shall on being informed in terms of sub-rule (1) of rule 3 or otherwise, take steps to determine who out of the two, that is the content rights owner or holder or the Prasar Bharati, shall undertake the marketing of commercial time generated by the retransmission on the Prasar Bharati's Channel and either of the party, which offers to maximize the revenue, shall get the marketing rights.

(2) For the purposes of sub-rule (1), a sealed bid procedure shall be adopted and such bids shall be opened in presence of representatives of both the parties and the party bidding higher shall get the marketing rights.

(3) The final amount so determined shall be the guaranteed net revenue after payment of taxes and duties, offered by the party getting the marketing rights and the revenue to be shared between the parties shall be the higher of the guaranteed revenue or actual revenue realised.

(4) The party getting the marketing right shall give a bank guarantee to the other party for an amount equal to the other party's share of guaranteed revenue which shall be valid for a period of six months from the first day of the month succeeding the month in which the sporting event comes to an end.

(5) The party having the marketing rights shall be entitled to obtain all release orders and payments in its name and all payments shall be received by it only by way of account payee cheques, which shall be deposited in a designated escrow account from which the parties shall be at liberty to make withdrawals after discharging the tax liability.

(6) The party having the marketing rights shall submit to the other party complete accounts of revenue earnings, duly audited by a chartered accountant and along with all the release orders; and shall pay the entire guaranteed amount as well as any other amount to which the other party is entitled as per the revenue sharing formula under the Act and sub-rule (3) of rule 4, within seventy five days from the first day of the month succeeding the month in which the sporting event comes to an end.

5. Responsibility of a television or radio channel broadcasting the sporting event.—If the television or radio broadcasting service provider is different from the content rights owner or holder, it shall be its duty to ensure that adequate arrangements for compliance with the provisions of the Act and the rules are made, at the time of acquisition of the rights from the content rights owner or holder.

6. Manner of declaration of sporting events of national importance.—(1) The list of sporting events of national importance shall be determined and notified by the Ministry of Information and Broadcasting in consultation with the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Prasar Bharati.

(2) An event of national importance once included in the list shall remain a sporting event as such for a period of four years from the date of its inclusion unless deleted or withdrawn earlier.

IndiaCode

(3) The Ministry of Information and Broadcasting may, review the list of sporting events of national importance at any time and atleast once in the month of February of each calendar year as per sub-rule (1), and consider new proposals for inclusion or deletion and notify amendments, if any.

7. Liability of television or radio broadcasting service provider or content rights owner or holder in certain cases of violations.—(1) Subject to the provisions of the Act, the Central Government may, in the event of any violation of a term or condition specified under Section 3 of the Act or these rules, impose a penalty for each day till the violation continues.

(2) The penalty in case of televisions or radio broadcast service provider under sub-rule (1) shall be without prejudice to any action that the Central Government may take against them by way of suspension or revocation of licence or permission or registration.

(3) No penalty under sub-rule (1) or (2) shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is given to the television or radio broadcasting service provider or the content rights owner or holder.

8. Partial supersession of guidelines.—These rules partially supersede the Guidelines for Uplinking from India, dated 2nd December, 2005 and the Policy Guidelines for Downlinking of Television Channels, dated 11th November, 2005 issued by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, insofar as they relate to sharing of sports broadcasting signals with the Prasar Bharati in case of sporting events of national importance and the terms and conditons relating thereto.

[No. 16/8/2006-BP&L Vol. III]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1360] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2007/कार्तिक 15, 1929
No. 1360] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2007/KARTIKA 15, 1929

IndiaCode

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2007

का.आ. 1881(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की संसद् द्वारा या उसके निमित्त प्रचालित निम्नलिखित चैनलों के नाम केबल आपरेटरों द्वारा उनकी केबल सेवाओं में पुन: पारेषण के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) लोक सभा टेलीविजन चैनल; और

(ii) दूरदर्शन राज्य सभा चैनल ।

2. चैनलों की ग्राह्यता और पुन: पारेषण की रीति निम्नानुसार होगी :—

(i) चैनलों के उपग्रह सिग्नल ऐसे टेलीविजन रिसीव ओनली टर्मिनल (टीवीआरओ) जो, पैराबोलिक डिश एंटीना द्वारा जिसका व्यास 12 फीट से कम नहीं होगा केबल शीर्ष सिरे पर अच्छी क्वालिटी की ग्राह्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त किए जाएंगे;

(ii) मानक उपस्कर का उपयोग, अन्य उपग्रह चैनलों की तुलना में अंतिम सिरे तक के अभिदाता को चैनलों की अच्छी क्वालिटी ग्राह्यता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा;

(iii) चैनल, 450 मेगाहर्ट्ज तक गैर-प्राइम बैंड में, जहां टेलीविजन सिग्नल का वितरण सादृश प्रणाली में है, केबल नेटवर्क सेवा पर पुन:पारेषित किए जाएंगे । तथापि, डिजीटल प्रणाली में वितरण की दशा में, चैनलों को अभिदाताओं को प्रस्थापित सभी बुकों में अनिवार्य रूप से चलाए जाएंगे;

(iv) कोई भी चैनल उसी आवृत्ति पर जिसमें दूरदर्शन टेरेस्ट्रीयल चैनल उस क्षेत्र में पारेषित किए जा रहे हैं, पुन:पारेषित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए पद ''प्राइम बैंड'' (चैनल 2 से 4 रेंज 47 से 68 मेगा हर्ट्ज) और बैंड III (चैनल 5 से 12, रेंज 174 से 230 मेगा हर्ट्ज) में आने वाले चैनल से संबंधित आवृत्तियां गठित करता है, और ''गैर प्राइम बैंड'' प्राइम बैंड के संबंध में तद्नुसार समझे जाएंगे ।

[फा. सं. 9/8/2006-बीपीएंडएल जिल्द III]

जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2007

S.O. 1881(E).— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby notifies the names of following channels operated by or on behalf of Parliament of India, for re-transmission by the cable operators in their cable service, namely : —

(i) Lok Sabha television channel; and

IndiaCode

(ii) DD Rajya Sabha channel.

2. The manner of reception and re-transmission of the channels shall be as follows :—

(i) the satellite signals of the channels shall be received by Television Receive Only Terminal (TVRO) having parabolic dish antenna not less than 12 feet in diameter to ensure good quality reception at the cable headend;

(ii) standard equipment shall be used to ensure good quality reception of the channels upto tail end subscribers comparable with other satellite channels;

(iii) the channels shall be re-transmitted on the cable network service, in non-prime band upto 450MHz, where distribution of television signals is in analog mode, however, in case of distribution in digital mode, the channels shall be compulsorily carried in all the bouquets being offered to the subscribers;

(iv) none of the channels shall be re-transmitted in the same frequency band in which Doordarshan terrestrial channels are being transmitted in that area.

Explanation :—Fort the purposes of this notification, the expression "prime band" constitutes frequencies relating to channel falling in band 1 (channels 2 to 4 ranging from 47 to 68 MHz) and band III (channels 5 to 12 ranging from 174 to 230 MHz) and "non-prime band" shall be construed accordingly, in relation to "prime band".

[F. No. 9/8/2006/BP&L Vol. III]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—08 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—08

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008 / माघ 18, 1929
No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008 / MAGHA 18, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

indiacode

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 7th February, 2008/*Magha* 18, 1929 *(Saka)*

THE PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA) AMENDMENT ORDINANCE, 2008

No. 5 OF 2008

Promulgated by the President in the Fifty-ninth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Ordinance may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 2008.

(*2*) It shall come into force at once.

IndiaCode

Amendment of section 6.

2. In section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990,— 25 of 1990.

(*a*) for sub-section (*1*), the following shall be substituted, namely:—

"(*1*). The Chairman shall be Part-time Member and shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that any person holding office as a Chairman immediately before the commencement of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 2008, shall, in so far as his appointment is inconsistent with the provisions of this sub-section, cease to hold office on such commencement as such Chairman and shall not be entitled to any compensation because of his ceasing to hold such office.".

(*b*) in sub-section (*2*), the words "The Executive Member," shall be omitted;

(*c*) after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*2A*) The Executive Member shall be a Whole-time Member and shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier:

Provided that any person holding office as an Executive Member immediately before the commencement of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 2008 shall, in so far as his appointment is inconsistent with the provisions of this sub-section, cease to hold office on such commencement as such Executive Member and shall not be entitled to any compensation because of his ceasing to hold such office.".

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.

K. D. SINGH,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008.

GIPMR—223LAW (S5) — 08.02.2008.

IndiaCode

IndiaCode

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008

(2008 का अध्यादेश संख्यांक 5)

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ।

[7 फरवरी, 2008]

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश

संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 6 में,-- 1990 का 25

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होगा और उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

परंतु प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 के प्रारंभ के ठीक पूर्व अध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जहां तक उसकी नियुक्ति इस उपधारा के उपबंधों से असंगत है, ऐसे प्रारंभ पर ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा और इस प्रकार अपने पद पर न रहने के कारण किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।";

(ख) उपधारा (2) में "कार्यपालक सदस्य" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) कार्यपालक सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होगा और उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

परंतु प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 के प्रारंभ से ठीक पूर्व कार्यपालक सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति, जहां तक उसकी नियुक्ति इस उपधारा के उपबंधों से असंगत है, ऐसे प्रारंभ पर कार्यपालक सदस्य के रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा और इस प्रकार अपने पद पर न रहने के कारण किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।"।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति ।

के.डी. सिंह,
सचिव, भारत सरकार ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2008/माघ 19, 1929
No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2008/MAGHA 19, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

का.आ. 281(अ).—केन्द्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (1) के साथ पठित खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में निम्नलिखित आयोजनों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. समर ओलम्पिक
2. कामनवेल्थ गेम्स
3. एशियन गेम्स
4. विशेष ओलम्पिक
5. पैरालिम्पिक्स
6. निम्नलिखित खेलों से संबंधित आयोजन .—

अ. टेनिस

(क) डेविस कप.—प्रधानता वाले सभी मैच ;

(ख) ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट्स.—पुरुष एकल, महिला एकल के फाइनल और क्वाटर फाइनल से आगे के भारतीय खिलाड़ियों की प्रधानता वाले सभी मैच ; और

(ग) ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट्स—क्वाटर फाइनल से आगे के पुरुष युगल, महिला युगल या मिश्रित युगल में सभी ऐसे मैच जिनमें भारतीय खिलाड़ियों की प्रधानता है ।

आ. हाकी

(क) विश्व कप.—भारत प्रधानता वाले सभी मैच और सेमी फाइनल तथा फाइनल ;

(ख) चैम्पियन्स ट्राफी.—भारत प्रधानता वाले सभी मैच और फाइनल ; और

(ग) इंदिरा गांधी महिला स्वर्ण कप.—सेमीफाइनल और फाइनल ।

इ. फुटबाल

(क) विश्व कप.—आरंभिक मैच, सेमीफाइनल और फाइनल ;

(ख) एशिया कप.—भारत प्रधानता वाले सभी मैच और सेमी- फाइनल तथा फाइनल ; और

(ग) संतोष ट्राफी.—सेमीफाइनल और फाइनल ।

[फा. सं. 16/8/2006-बी पी एंड एल जिल्द-III]

जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

S.O. 281(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (1) of Section 2 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11.of 2007), read with sub-rule (1) of Rule 6 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Rules, 2007, the Central Government hereby notifies following events as sporting events of national importance namely :—

IndiaCode

IndiaCode

1. Summer Olympics
2. Commonwealth Games
3. Asian Games
4. Special Olympics
5. Paralympics
6. Events relating to the following sports.—

A. Tennis

(a) Davis Cup.—All matches featuring India ;

(b) Grand Slam Tournaments.—Finals of Men's Singles, Women's Singles and all matches featuring Indian player from quarter-finals onwards; and

(c) Grand Slam Tournaments.—All such matches featuring Indian player in Men's doubles, Women's doubles or mixed doubles, from quarter finals onwards.

B. Hockey

(a) World Cup.—All matches featuring India and semi-finals and finals;

(b) Champions Trophy.—All matches featuring India and finals; and

(c) Indira Gandhi Gold for Women.—Semi-finals and finals.

C. Football

(a) World Cup.—Opening match, semi-finals and finals;

(b) Asia Cup.—All matches featuring India and semi-finals and finals; and

(c) Santosh Trophy.—Semi-finals and finals.

[F. No. 16/8/2006-BP&L Vol.-III]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode